न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS)

वादपत्र संख्या **14 / 2019** दायर तारीख **07 / 03 / 2019**

अनवान

1. गोपाल लाल पिता भारमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोकली बाई पत्नि भारमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........वादीगण

बनाम

1. जगन्नाथ पिता काना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मोतीलाल पिता काना जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. जमनी पुत्री काना पत्नि जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा हाल मुकाम जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मोहनी पुत्री काना पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा हाल मुकाम थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मांगी पुत्री काना पत्नि बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा हाल मुकाम मोतीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. हीरी पुत्री काना पत्नि सुगनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा हाल मुकाम लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. धन्नी पुत्री काना पत्नि शम्भुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा हाल मुकाम विक्रमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29 / 12 / 2021

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बाद नियमित सुनवाई दिनांक 28 / 05 / 2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

मौजा ग्राम देवगढ प0ह0 गणेशपुरा स्थित आराजी नम्बर 66 रकबा 6–02 बीघा, आराजी नम्बर 66/1 रकबा 0–03 बीघा, आराजी नम्बर 67 रकबा 6–18 बीघा, आराजी नम्बर 68 रकबा 8–10 बीघा **कुल किता 4 रकबा 21–13 बीघा** भूमि तथा ग्राम सदारामजी का खेड़ा प0ह0 गणेशपुरा में स्थित आराजी नम्बर 27 रकबा 8–05 बीघा, आराजी नम्बर 30 रकबा 1–17 बीघा, आराजी नम्बर 83 रकबा 3–02 बीघा, आराजी नम्बर 103 रकबा 0–13 बीघा **कुल किता 4 रकबा 13–17 बीघा** भूमि में बाई मीटस एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन करने का आदेश पारित किया गया। आदेश की पालना में तहसीलदार बिजौलियां ने उनके पत्रांक/राजस्व/2020/144 दिनांक 14.02.2020 को प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	जगन्नाथ पिता काना 1/2 मोतीलाल पिता काना 1/7 सीतादेवी पत्नी मोतीलाल 5/14 धाकड़ सा0 सदारामजी का खेड़ा खातेदार	देवगढ	66/3 67/1 68/1	3–01 3–09 4–05	2–70 3–19 1–27
	योग		**किता 03**	**10–15**	**7–16**
02	गोपाल पिता भारमल गोकली बेवा भारमल धाकड़ सा0 सदारामजी का खेड़ा खातेदार	देवगढ	66/2 67/2 68/2	3–01 3–09 4–05	2–70 3–19 1–28
	योग		**किता 03**	**10–15**	**7–17**
03	जगन्नाथ पिता काना 1/4 मोतीलाल पिता काना 1/14 सीता देवी पत्नि मोतीलाल 5/28 गोपाल पिता भारमल गोकली बेवा भारमल 1/2 धाकड़ सा0 सदारामजी का खेड़ा खातेदार	देवगढ	66/1	0–03	–
	योग		**किता 1**	**0–03**	–
04	जगन्नाथ पिता काना 1/2 मोतीलाल पिता काना 1/7 सीतादेवी पत्नी मोतीलाल 5/14 धाकड़ सा0 सदारामजी का खेड़ा खातेदार	सदाराम जी का खेड़ा	27/1 30/2 83/1 103/1	4–03 0–18 1–11 0–07	6–60 0–28 2–48 0–10
	योग		**किता 04**	**06–19**	**9–46**
05	गोपाल पिता भारमल गोकली पत्नि स्व. भारमल धाकड़ सा0 सदारामजी का खेड़ा खातेदार	सदाराम जी का खेड़ा	27/2 30/1 83/2 103/2	4–02 0–19 1–11 0–06	6–60 0–28 2–48 0–10
	योग		**किता 04**	**06–18**	**9–46**

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि.-भीलवाड़ा

उक्तानुसार **अन्तिम डिक्री** जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्यूडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक **29 / 12 / 2021** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

21	उपस्थित ... दिनांक 28.9.21 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
1/11/21	... वादी/प्रतिवादी ... समझौता नहीं हो सका। ... पत्रावली दि. 21.12.21 को वास्ते बहस पेश हुई। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)
21/12/21	पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित ... दिनांक 22.12.21 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
22/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। वकीलवादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/12/21 को पेश हो।
29/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली मे पूर्व मे बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा